अनुलग्नक - I

संविदा और प्रति घंटा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर
बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाएं लेना - संविदा की नियम और शर्तें

क. जिम्मेदारियां/कर्तव्य आदि

1. विज्ञापन के पैरा 2(viii) में किए गए उल्लेख के अनुसार (या बैंक द्वारा तय की गई अवधि हेतु) नियत ड्यूटी घंटों के दौरान, बैंक छुट्टियों को छोड़कर (अर्द्ध वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजन के लिए घोषित छुट्टियों शामिल नहीं), औषधालय को लगातार दो दिन बंद नहीं रखे जाने की शर्त के आधार पर आप अवंतिका, भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर के औषधालय में सेवाएँ देंगे। बैंक आपकी सेवाओं का उपयोग औषधालय के कार्य समय के दौरान बैंक के भोपाल स्थित किसी भी औषधालय में कर सकता है।

2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों, दौरे पर आये कर्मचारियों सहित उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो उस समय स्वयं उपस्थित हों (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाये समय और / या अवधि को बदला जा सकता है) को निःशुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और निःशुल्क इंजेक्शन लगायेंगे । बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में आप अपने निजी क्लिनिक में अनुसूची में निर्धारित दरों पर शुल्क के साथ किसी भी समय परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।
3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे।
4. भविष्य में किसी भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के बावजूद आपको एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता किसी भी तरीके से आपको सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की किसी शर्त के अनुसार, आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता जैसा भी मामला हो, का उपर्युक्त वर्णन अनुसार सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के साथ टकराव हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में कोई भी देयता या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आयेगी और आप क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके विरुद्ध हर समय बैंक को क्षतिपूरित रखेंगे।
बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता के रूप में होगा, न कि बैंक के एजेंट के रूप में।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में उपर्युक्त वर्णित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आपके कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:
(i) मामूली और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे कहते हैं।

(ii) डिस्पेंसरी या विभागों या बैंक परिसर या बैंक स्टाफ क्वार्टर या बैंक परिसर के बाहर हुये आपातकालीन मामलों का इलाज करना और उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। इस संबंध में आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, आपको आना होगा चाहे यह आवश्यकता आपके कार्य घंटों के बाहर हो।

iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शन देने और उससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव की ज़िम्मेदारी आपकी है। नियमतः, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। आपको फार्मासिस्ट को नियमित और साधारण प्रकार के इंजेक्शन लगाने में प्रशिक्षित करना होगा ताकि काम अधिक होने पर सहायता मिल सके।

(iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली शल्यचिकित्सा को आपके द्वारा ही संभाला जायेगा। यदि आप आश्वस्त है कि फार्मासिस्ट के पास आवश्यक योग्यता है तो उसके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है।

6. आवश्यकतानुसार आपको क्वॉर्ट्स में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य को देखने जाना होगा और उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
7. यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवश्यकतानुसार चिकित्सा आधार पर छुट्टी हेतु प्रमाण पत्र जारी करना होगा और कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा।
8. यदि अपेक्षित हो तो आपको अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को देखने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित होना होगा और स्थानीय स्थितियों के अनुसार जैसा बैंक द्वारा तय किया है आप विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। नियत विजिट शुल्क / परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के शुल्क शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए आपके द्वारा अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
9. यदि और जब ऐसा आवश्यक हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में आप किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी का जिसका बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु चयन किया गया है, बैंक सेवा हेतु स्वास्थ्य और / या फिटनेस के संबंध में प्रमाणित करना होगा।
10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक प्रयोजन हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए आपको बैंक के अनुमोदित औषधि विक्रेता को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करना होगा और संबन्धित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को प्रतियां अग्रेषित करनी होंगी ।
11. यदि बैंक कर्मचारियों या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर भर्ती की स्थिति में) को आवश्यकतानुसार आप अस्पताल सुविधायें प्रदान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
12. आपको कार्यालय परिसर का माह में एक बार दौरा करना होगा और परिसर के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर रखे जाने के विषय में रिपोर्ट देनी होगी।
13. आवश्क्तानुसार आपको टायफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके और चेचक के लिए संबन्धित टीके लगाने होंगे।
14. स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के विषय में आपको आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा सूचित की जा सकने वाली अन्य तारीख की स्थिति अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

15. आप दवाइयों के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए आप सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करेंगे।
16. आपको ड्रग इंडेंट्स के संबंध में भी परामर्श देनी होगी, और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो दवा के भंडार शेष और खपत की जांच करनी होगी।
17. जब आपको निर्दिष्ट किया जाये आपको चिकित्सकीय दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार लागत की तर्कसंगतता सहित विशेषज्ञता राय देनी होगी।
18. आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम सहित औषधालय सुविधा के प्रशासन से संबंधित ऐसा अन्य कोई भी कार्य करना होगा, जो कि सामान्य तौर पर सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा देखा जाता/देखा जाना चाहिए।
19. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में आपको अपने जोखिम और लागत पर एवजी व्यवस्था करनी होगी जो योग्यता और अनुभव के मामले में बैंक को स्वीकार्य हो।
20. आप अनुबंध-II में संलग्न बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की आचरण-संहिता का पालन करेंगे।

ख. <u>पारिश्रमिक</u>

आप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए **तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा हेतु ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से** पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अतिरिक्त बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी छुट्टी या किसी भी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगा। यदि आपको किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में आने की आवश्यकता होगी, तो आपको @₹1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती की जाएगी।

ग. <u>अन्य संबंधित मद</u>

i) आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे।

ii) संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा।

iii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv) संविदा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस अथवा उसके बदले बैंक के प्रति कार्यदिवस प्रति घंटे ₹1,000/- की दर से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। हालांकि, गंभीर कदाचार के मामले में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है।

v) संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद भोपाल स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।